# संपत्ति ज़ब्ती पर अंतिम मुहर अब कानूनज्ञ की: PMLA अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

मूल प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

**समाचार-संदर्भ:** 26 नवंबर 2026

**प्रकाशन तिथि:** 27 नवंबर 2026

**मुख्य परीक्षा:** सामान्य अध्ययन-2 - संविधान, शासन प्रणाली, न्यायपालिका, अर्ध-न्यायिक निकाय

**प्रिलिम्स:** सामान्य अध्ययन - भारतीय राजव्यवस्था, प्रवर्तन निदेशालय (ED), PMLA




pcsmantra.com

## खबरों में क्यों

26 नवंबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जे. सेकर** (2026 INSC 1277) में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया। प्रधान न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन-न्यायाधीश पीठ ने तय किया कि **मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)** के तहत संपत्ति की ज़ब्ती को मंज़ूरी देने वाले अंतिम फैसले - यानी **धारा 8(2)** और **धारा 8(3)** की विचारण-प्रक्रिया - में **जुडिशियल मेंबर** (न्यायिक सदस्य) की उपस्थिति अनिवार्य होगी। फैसला इसलिए खास है, क्योंकि यह ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा ज़ब्त की गई संपत्ति के भाग्य का फैसला करने वाली संस्था - **एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी** - की स्वतंत्रता और न्यायिक गुणवत्ता से जुड़ा है, जो परीक्षा में 'ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता' और 'उचित प्रक्रिया' (due process) जैसे मुद्दों से सीधे जुड़ता है।

## मामला क्या था

**मूल वाद:** मूल मामला जे. सेकर से जुड़ा है। दिसंबर 2016 में आयकर विभाग की छापेमारी में उनकी फर्म के परिसरों से 132.73 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और 128.495 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। सीबीआई की प्राथमिकी को 'पूर्वापराध' (predicate offence) मानकर ईडी ने मामला दर्ज किया और मई 2017 में **धारा 5(1)** के तहत 8.57 करोड़ रुपये की चल संपत्ति का अनंतिम ज़ब्ती आदेश (Provisional Attachment Order या PAO) पारित किया।

**विवाद की शुरुआत:** तब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में केवल एक तकनीकी सदस्य (टेक्निकल मेंबर) अध्यक्ष का कार्य संभाल रहे थे; कोई जुडिशियल मेंबर पद पर नहीं था। इसी एकल, ग़ैर-न्यायिक सदस्य ने **धारा 8(1)** का कारण-बताओ नोटिस (show-cause notice) जारी किया। सेकर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इसकी वैधता चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2018 को कहा था कि अथॉरिटी के किसी भी कार्य के लिए जुडिशियल मेंबर ज़रूरी नहीं है। कोलकाता और तेलंगाना उच्च न्यायालयों ने भी बाद के फैसलों में यही रुख अपनाया। इन्हीं फैसलों के विरुद्ध अपीलों का एक बैच, और अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया।

**तीन सवाल:** कोर्ट के समक्ष तीन प्रमुख प्रश्न थे - क्या अथॉरिटी अपने कार्य एकल, ग़ैर-न्यायिक सदस्य से करा सकती है? क्या हर बेंच में जुडिशियल मेंबर होना चाहिए? और क्या अध्यक्ष का पद जुडिशियल मेंबर के लिए आरक्षित है?

## PMLA और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है

**PMLA:** मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 - अपराध से अर्जित धन को वैध बनाने की प्रक्रिया (मनी लॉन्ड्रिंग) रोकने और ऐसी संपत्ति की ज़ब्ती व कुर्की का प्रावधान करने वाला केंद्रीय कानून, जो 1 जुलाई 2005 से लागू है।
**ईडी (ED):** प्रवर्तन निदेशालय - PMLA के तहत जाँच करने, संपत्ति ज़ब्त करने और गिरफ़्तारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी।
**PAO:** अनंतिम ज़ब्ती आदेश - ईडी अधिकारी **धारा 5** के तहत किसी संपत्ति को अधिकतम 180 दिनों के लिए अस्थायी रूप से ज़ब्त कर सकता है; इसे मंज़ूरी या ख़ारिज करने का अंतिम फैसला अथॉरिटी का होता है।
**एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (AA): धारा 6** के तहत गठित अर्ध-न्यायिक निकाय, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। तीनों में से एक-एक सदस्य कानून, प्रशासन और वित्त/लेखा क्षेत्र का अनुभवी होना चाहिए। कानून क्षेत्र का सदस्य ही 'जुडिशियल मेंबर' कहलाता है - ऐसा व्यक्ति जो ज़िला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या इंडियन लीगल सर्विस का ग्रेड-1 अधिकारी रहा हो।
**बेंच: धारा 6(5)** के तहत अध्यक्ष एक या दो सदस्यों की बेंच बना सकता है। 2009 के संशोधन से पहले कई अथॉरिटीज़ हो सकती थीं; संशोधन के बाद पूरे देश में केवल एक अथॉरिटी है।
**अपील की शृंखला:** अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध पहली अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल (**धारा 26**) और दूसरी अपील उच्च न्यायालय (**धारा 42**) में होती है।

## सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

**1. अंतिम विचारण में जुडिशियल मेंबर अनिवार्य: धारा 8(2)** (पक्षों की सुनवाई) और **धारा 8(3)** (ज़ब्ती की पुष्टि या ख़ारिज करने का आदेश) की प्रक्रिया में कानून की व्याख्या और साक्ष्य के मूल्यांकन का काम होता है; इसलिए यह विचारण केवल ऐसी बेंच करेगी जिसमें जुडिशियल मेंबर शामिल हो या बेंच स्वयं जुडिशियल मेंबर की हो।

**2. शो-कॉज़ नोटिस के लिए जुडिशियल मेंबर ज़रूरी नहीं: धारा 8(1)** के तहत कारण-बताओ नोटिस जारी करना प्रारंभिक चरण है - इसमें केवल ईडी की शिकायत के आधार पर प्रथमदृष्टया राय बनाई जाती है, जिससे नोटिसपात्र पर कोई अंतिम असर नहीं पड़ता। इसलिए नोटिस जारी करने के लिए जुडिशियल मेंबर अनिवार्य नहीं है।

**3. एकल-सदस्यीय बेंच मान्य, बशर्ते वह जुडिशियल मेंबर हो: धारा 6(5)(b)** और **धारा 6(7)** को कोर्ट ने वैध करार दिया - अथॉरिटी की बेंच एक या दो सदस्यों की हो सकती है। विचारण का काम एकल सदस्य भी कर सकता है, लेकिन वह सदस्य जुडिशियल मेंबर ही होना चाहिए।

**4. अध्यक्ष का जुडिशियल मेंबर होना अनिवार्य नहीं:** अध्यक्ष की भूमिका मुख्यतः प्रशासनिक है; कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि अध्यक्ष कानून क्षेत्र का सदस्य ही हो।

**5. आनुषंगिक निर्णय भी उसी बेंच से: धारा 9** (ज़ब्त संपत्ति पर भार/पट्टे का निर्धारण), **धारा 20(4)** और **धारा 21(4)** (ज़ब्त संपत्ति व अभिलेखों की प्रतिधारण) के निर्णय धारा 8 के विचारण से जुड़े हैं; ये भी जुडिशियल मेंबर वाली बेंच ही करेगी।

**6. निर्देश:** अथॉरिटी का अध्यक्ष **धारा 6** की शक्तियों से प्रशासनिक परिपत्र जारी कर यह सुनिश्चित करेगा कि अब से धारा 8(3) का कोई भी आदेश जुडिशियल मेंबर के बिना न पारित हो। दिल्ली, कोलकाता और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के छह फैसले/आदेश, जिनमें ग़ैर-न्यायिक एकल सदस्य को हर कार्य की छूट दी गई थी, इन्हीं शर्तों के साथ संशोधित किए गए।

## फैसले के तर्क

**दो अलग भूमिकाएँ:** कोर्ट ने अथॉरिटी के कार्यों को दो हिस्सों में बाँटा। पहला - ईडी के 'विश्वास के कारणों' (reasons to believe) की सीलबंद रिपोर्ट का संरक्षक बनना, जो प्रशासनिक काम है और इसमें जुडिशियल मेंबर की अनुपस्थिति से कोई क्षति नहीं होती। दूसरा - धारा 8 का वास्तविक विचारण, जहाँ अथॉरिथ को तथ्यों का मूल्यांकन, सबूतों का स्तर, PMLA में निहित अनुमानों (presumptions) का प्रयोग और 'संपत्ति' व 'मनी लॉन्ड्रिंग' जैसी परिभाषाओं की व्याख्या करनी होती है। यह काम नियमित न्यायालय जैसा है, क्योंकि **धारा 41** से दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार इस क्षेत्र से हटा दिया गया है।

**परिणाम गंभीर:** धारा 8(3) से ज़ब्ती की पुष्टि होते ही **धारा 8(4)** लागू होता है और संपत्ति का कब्ज़ा सरकार के पास चला जाता है - यह स्थिति मुकदमे के अंत तक रह सकती है, यानी अपराध साबित होने से पहले ही व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है। इतने गंभीर परिणाम वाला निर्णय केवल कानून में प्रशिक्षित व्यक्ति ही करे, यही न्यायिक निष्पक्षता की गारंटी है।

**अपील का विकल्प काफी नहीं:** केंद्र सरकार का तर्क था कि कानून पर अपील तो अपीलीय ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट तक जाती है, तो मूल स्तर पर जुडिशियल मेंबर क्यों? कोर्ट ने इसे ख़ारिज किया - अपीलीय मंच मूल निर्णय की गलती सुधार सकता है, पर मूल मंच की कमी को पूरा नहीं कर सकता।

**पूर्व फैसलों का सहारा:** कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन वाद (संविधान पीठ, 2010), एल. चंद्र कुमार वाद (1997) और यूटिलिटी यूज़र्स वेलफेयर एसोसिएशन वाद (2018) का आधार लिया - जो निकाय न्यायालयों का स्थान लेते हैं या विधियों की व्याख्या करते हैं, उनकी बेंच में कम-से-कम एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। कोर्ट ने 'रीडिंग डाउन' (कानून को इस तरह समझना कि वह वैध और कार्यकारी बना रहे) की विधि अपनाई और धारा 6 की उप-धाराएँ (6) व (7) में पहले से मौजूद समर्थनकारी शक्तियों से जुडिशियल मेंबर की अनिवार्यता को व्यवस्थित किया, बिना कोई प्रावधान रद्द किए।

**अन्य कानूनों से तुलना खारिज:** NDPS, सफ़ेमा (SAFEMA), बेनामी और सीमा शुल्क कानूनों के निकायों से सरकार ने समानता का तर्क दिया, जिसे कोर्ट ने मान्य नहीं माना - उन कानूनों में एक सदस्य का कानून क्षेत्र से होना अनिवार्य नहीं, जबकि PMLA की धारा 6(2) व 6(3) में यह स्पष्ट प्रावधान है; और PMLA में ज़ब्ती के परिणाम कहीं अधिक दूरगामी हैं।

## पुराने आदेशों पर असर

**नया नियम आगे से लागू:** कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय की तिथि (26 नवंबर 2026) से पहले एकल, ग़ैर-न्यायिक सदस्य की बेंच द्वारा धारा 8(2), धारा 9 या धारा 20 व 21 के तहत पारित आदेश स्वतः अमान्य नहीं माने जाएँगे। यह निर्णय अपने-आप में पुराने आदेशों के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाने का आधार नहीं बनेगा।

**मेरिट पर अपील खुली:** जो पक्ष पुराने आदेशों से असंतुष्ट हैं, वे कानून में उपलब्ध स्टैच्यूटरी अपील के माध्यम से उन्हें मेरिट (तथ्य और कानून के आधार) पर चुनौती दे सकते हैं।

## एक से अधिक अथॉरिटी की सिफ़ारिश

**बढ़ता दबाव:** ईडी द्वारा हलफ़नामे में दिए गए आँकड़ों के अनुसार ज़ब्ती आदेशों (PAO) की संख्या लगातार बढ़ी है - 2021-22 में 262, 2022-23 में 283, 2023-24 में 321, 2024-25 में 461 और 2025-26 में 712 PAO जारी हुए; 2005 से अब तक कुल 3,639 PAO जारी हो चुके थे (31 अगस्त 2026 तक की स्थिति)। दूसरी ओर, धारा 8 के तहत विचारण 180 दिनों में पूरा करने की समय-सीमा है।

**2009 संशोधन की समीक्षा का सुझाव:** 2009 के संशोधन से कई अथॉरिटीज़ की व्यवस्था समाप्त होकर एक ही अथॉरिटी रह गई, जिससे मामलों का जाम लगा है। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्ति से नई अथॉरिटीज़ का निर्देश देने से परहेज़ किया (क्योंकि 2009 संशोधन की वैधता चुनौती में नहीं थी), पर केंद्र सरकार को **सिफ़ारिश** की कि वह 2009 संशोधन को निरस्त कर मूल व्यवस्था - एक से अधिक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, संभवतः क्षेत्रीय अथॉरिटीज़ सहित - की ओर लौटने पर विचार करे।

### वर्ष के अनुसार जारी अनंतिम ज़ब्ती आदेश (PAO)

| वर्ष | PAO की संख्या |
|---|---|
| 31.03.2012 तक | 130 |
| 2012-13 | 62 |
| 2013-14 | 118 |
| 2014-15 | 169 |
| 2015-16 | 103 |
| 2016-17 | 168 |
| 2017-18 | 203 |
| 2018-19 | 166 |
| 2019-20 | 158 |
| 2020-21 | 185 |
| 2021-22 | 262 |
| 2022-23 | 283 |
| 2023-24 | 321 |
| 2024-25 | 461 |
| 2025-26 | 712 |
| 2026-27 (31.08.2026 तक) | 138 |
| **कुल** | **3,639** |

*स्रोत: ईडी का हलफ़नामा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (पैरा 72) में उद्धृत।*

## परीक्षा की दृष्टि से महत्व

**GS-2 संबंध:** यह निर्णय ट्रिब्यूनलों एवं अर्ध-न्यायिक निकायों की स्वतंत्रता, प्रशासनिक न्याय, और संपत्ति के अधिकार (**अनुच्छेद 300A**) से जुड़ा है।

**उचित प्रक्रिया:** अपराध सिद्ध होने से पहले संपत्ति छिनने जैसे कठोर प्रावधान के बीच, निर्णयकर्ता की न्यायिक योग्यता ही उचित प्रक्रिया (due process) की गारंटी बनती है - यह मुद्दा 'न्यायिक पुनरावलोकन' और 'शक्ति-पृथक्करण' के उत्तरों में इस्तेमाल हो सकता है।

**ट्रिब्यूनल सुधार श्रृंखला:** मद्रास बार एसोसिएशन और एल. चंद्र कुमार से लेकर यह फैसला, ट्रिब्यूनलों में न्यायिक सदस्य की अनिवार्यता की निरंतर श्रृंखला है - ट्रिब्यूनल सुधार पर किसी भी प्रश्न में उद्धरण योग्य।

**न्यायपालिका-विधायिका संतुलन:** कोर्ट ने कानून रद्द न कर 'रीडिंग डाउन' से संतुलन बनाया और संरचनात्मक बदलाव (कई अथॉरिटीज़) के लिए संसद/सरकार को ही सिफ़ारिश छोड़ी - न्यायिक संयम (judicial restraint) का उदाहरण।

pcsmantra.com

## प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1. PMLA के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

**कथन 1:** अथॉरिटी में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक सदस्य कानून क्षेत्र का अनुभवी होता है

**कथन 2:** सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6(5)(b) और धारा 6(7) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है

**कथन 3:** धारा 8(1) के तहत कारण-बताओ नोटिस जारी करने के लिए जुडिशियल मेंबर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

**▼ उत्तर और व्याख्या**

सही उत्तर: (b)

कथन 1 सही है - धारा 6(2) के तहत अथॉरिटी में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं और एक-एक सदस्य कानून, प्रशासन तथा वित्त/लेखा क्षेत्र का होता है।

कथन 2 गलत है - न्यायालय ने धारा 6(5)(b) व 6(7) को वैध करार दिया और 'रीडिंग डाउन' द्वारा जुडिशियल मेंबर की अनिवार्यता उन्हीं प्रावधानों में व्यवस्थित की।

कथन 3 सही है - नोटिस जारी करना प्रारंभिक चरण है; अंतिम विचारण (धारा 8(2)/8(3)) में ही जुडिशियल मेंबर अनिवार्य है।

**प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

**कथन-I:** 26 नवंबर 2026 के निर्णय से पहले ग़ैर-न्यायिक एकल सदस्य की बेंच द्वारा पारित आदेश केवल इसी आधार पर अमान्य नहीं होंगे

**कथन-II:** ऐसे आदेशों से पीड़ित पक्ष कानून में उपलब्ध स्टैच्यूटरी अपील द्वारा मेरिट पर चुनौती दे सकता है

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, परन्तु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं करता है

(c) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II गलत है

(d) कथन-I गलत है, परन्तु कथन-II सही है

▼ **उत्तर और व्याख्या**

सही उत्तर: (a)

कथन-I सही है - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नया नियम पुराने आदेशों के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने का आधार नहीं बनेगा।

कथन-II सही है और कथन-I की व्याख्या करता है - पुराने आदेशों के विरुद्ध उपाय केवल मेरिट पर स्टैच्यूटरी अपील है, यही कारण है कि आदेश स्वतः अमान्य नहीं हुए।

**प्रश्न 3. PMLA के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के विचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

**कथन 1:** धारा 9, धारा 20(4) और धारा 21(4) के निर्णय धारा 8 के विचारण के आनुषंगिक (ancillary) माने गए हैं

**कथन 2:** विचारण का कार्य एकल-सदस्यीय बेंच तभी कर सकती है जब वह सदस्य जुडिशियल मेंबर हो

**कथन 3:** अथॉरिटी का अध्यक्ष अनिवार्यतः जुडिशियल मेंबर ही नियुक्त किया जाएगा

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ **उत्तर और व्याख्या**

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है - ये निर्णय विचारण से अभिन्न हैं, इसलिए जुडिशियल मेंबर वाली बेंच ही करेगी।

कथन 2 सही है - धारा 6 की रचना में एकल सदस्य की बेंच मान्य है, पर विचारण हेतु वह जुडिशियल मेंबर होना चाहिए।

कथन 3 गलत है - अध्यक्ष की भूमिका प्रशासनिक है; उसका जुडिशियल मेंबर होना अनिवार्य नहीं।

## मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1. PMLA के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की संरचना पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय की विवेचना कीजिए। यह निर्णय अर्ध-न्यायिक निकायों में न्यायिक स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? (250 शब्द, 15 अंक)**

**उत्तर की रूपरेखा**

**भूमिका:** 26 नवंबर 2026 का निर्णय (यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जे. सेकर) - PMLA की धारा 8(2)/8(3) के अंतिम विचारण में जुडिशियल मेंबर अनिवार्य; अथॉरिटी की भूमिका का संक्षिप्त परिचय।

**मुख्य भाग:** - अथॉरिटी की दोहरी भूमिका - प्रशासनिक (सीलबंद रिपोर्ट का संरक्षण) बनाम विचारणात्मक (साक्ष्य मूल्यांकन, व्याख्या)।
- धारा 8(4) के गंभीर परिणाम - अपराध सिद्ध होने से पहले संपत्ति से वंचना; न्यायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता।
- मद्रास बार एसोसिएशन, एल. चंद्र कुमार, यूटिलिटी यूज़र्स वादों की परंपरा; 'रीडिंग डाउन' की विधि।
- संतुलन - शो-कॉज़ नोटिस में छूट, अध्यक्ष हेतु कोई बंधन नहीं, एकल जुडिशियल बेंच मान्य; पुराने आदेश सुरक्षित, मेरिट पर अपील खुली।

**निष्कर्ष:** निर्णय न्यायिक संयम और नागरिक सुरक्षा का संतुलन; कई अथॉरिटीज़ की सिफ़ारिश के साथ ट्रिब्यूनल सुधार की दिशा।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**संक्षिप्त उत्तर:** सर्वोच्च न्यायालय ने 26 नवंबर 2026 को तय किया कि PMLA के तहत संपत्ति ज़ब्ती का अंतिम फैसला (धारा 8(2)/8(3)) केवल जुडिशियल मेंबर वाली बेंच करेगी; कारण-बताओ नोटिस के लिए जुडिशियल मेंबर ज़रूरी नहीं और पुराने आदेश स्वतः अमान्य नहीं होंगे।

**▼ प्रश्न 1: क्या अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की हर बेंच में जुडिशियल मेंबर होगा?**

नहीं। जुडिशियल मेंबर केवल अंतिम विचारण (धारा 8(2)/8(3)) और धारा 9, 20(4), 21(4) के आनुषंगिक निर्णयों वाली बेंच में अनिवार्य है। अन्य प्रशासनिक कार्य, जैसे धारा 8(1) का नोटिस या सीलबंद रिपोर्टों की अभिरक्षा, बिना जुडिशियल मेंबर के भी किए जा सकते हैं।

**▼ प्रश्न 2: क्या अथॉरिटी का अध्यक्ष अब जज या कानून का जानकार ही होगा?**

नहीं। न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष की भूमिका मुख्यतः प्रशासनिक है, इसलिए कानून क्षेत्र के सदस्य का अध्यक्ष बनना अनिवार्य नहीं है।

**▼ प्रश्न 3: जिन लोगों की संपत्ति पहले ग़ैर-न्यायिक सदस्य की बेंच ने ज़ब्त की थी, उनका क्या होगा?**

26 नवंबर 2026 से पहले के आदेश केवल 'बेंच में जुडिशियल मेंबर नहीं था' इस आधार पर चुनौती नहीं दिए जा सकेंगे। पीड़ित पक्ष अपीलीय ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय में मेरिट के आधार पर अपील कर सकते हैं।

**यह भी पढ़ें**

IBC 'पवित्र गंगा' नहीं: NCLAT का फ़ैसला

## स्रोत

1. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय - यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जे. सेकर, 2026 INSC 1277, 26 नवंबर 2026: निर्णय की पूर्ण प्रति (PDF)
2. मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 - पूर्ण पाठ (इंडिया कोड, राजकोषीय विभाग): indiacode.nic.in
3. राजस्व विभाग - PMLA अधिनियम और नियम: dor.gov.in